कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.06.2024

विषय:- दहेज हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में वांछित 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व मे थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-0379/2024 धारा 498ए, 304बी भा0द0वि0 व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना चौबेपुर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. शशिकान्त पटेल पुत्र बालकिशुन पटेल, 2. बालकिशुन पुत्र रामबली व अभियुक्ता 3. श्यामदुलारी पत्नी बालकिशुन निवासीगण ग्राम खानपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को आज दिनांक-23.06.2024 को समय करीब 13.50 बजे ग्राम खानपुर थाना चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक 23.06.2024 को वादी श्री महेन्द्र पटेल पुत्र शारदा पटेल निवासी ग्राम चकखरावन नटवा थाना बड़ागाँव जिला वाराणसी ने प्रार्थना पत्र दिया कि प्रार्थी की पुत्री पूनम पटेल का विवाह दिनांक 26/2/2024 को शशिकान्त पुत्र श्री बाल किशुन निवासी ग्राम खानपुर थाना चौबेपुर के साथ किया था, शादी के बाद से ही पूनम के ससुराल वाले आए दिन दहेज के लिए ताना दिया करते थे तथा पूनम के पति शशिकान्त ससुर बालकिशुन, सास श्याम दुलारी व घर के अन्य सदस्य बराबर प्रताड़ित करते रहते थे तथा ननद महिमा पटेल जब भी अपने ससुराल से मैके खानपुर आती थी तो कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करती थी, प्रार्थी की पुत्री द्वारा जब विरोध किया गया तो पति शशिकान्त, ससुर बालकिशुन व सास श्याम दुलारी आदि लोगों ने मिलकर दिनांक 22/6/2024 को मार-पीट कर फांसी पर लटका दिया। दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चौबेपुर में मु0अ0सं0 379/2024 धारा 498A/304B भा.द.वि. व 3/4 डी.पी. एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ महोदय द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण/अभियुक्ता का विवरण-

1. शशिकान्त पटेल पुत्र बालकिशुन पटेल निवासी ग्राम खानपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष।
2. बालकिशुन पुत्र रामबली निवासी ग्राम खानपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 50 वर्ष।

3. श्यामदुलारी पत्नी बालकिशुन निवासिनी ग्राम खानपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 48 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

ग्राम खानपुर थाना चौबेपुर से दिनांक-23.06.2024 को समय करीब 13.50 बजे ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक विद्याशंकर शुक्ल थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. म0उ0नि0 रौशनी सिंह थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. म0उ0नि0 पूजा गुप्ता थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. हे0का0 कृष्णानंद पाण्डेय थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
5. का0 जुगुनू पासवान थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।